अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

वन अधिकार अधिनियम–2006

सदस्यों को कानून और दावा दायर करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय वन कार्यशील लोगों और नागरिकों के न्याय और शांति संघ द्वारा एक प्रशिक्षण मैनुअल

भूमि और वन अधिकार आंदोलन की विरासतें और चुनौतियाँ

- भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान समाज है
- भूमि अधिकार और वन अधिकार का मुद्दा एक बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार का मुद्दा है क्योंकि लगभग 70ः लोग भूमि, जल, जंगल – सभी प्राकृतिक संसाधनों पर उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं।
- ये बुनियादी उत्पादन गतिविधियाँ ही सभी भारतीयों की जरूरतें पूरी करती हैंय अन्य उत्पादन प्रक्रियाएँ इन बुनियादी उत्पादन प्रक्रियाओं पर निर्भर करती हैं।
- ये बुनियादी उत्पादन गतिविधियाँ देश की आर्थिक संरचना की नींव हैं।
- हालाँकि, बुनियादी उत्पादक शक्तियाँ – सीमांत कृषकधकिसान, भूमिहीन किसान, वन पर निर्भर समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे अधिक हाशिये पर हैं।

वन अधिकार कानून जनसंघर्षों का परिणाम है

परिचय

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति ने 18वीं सदी के मध्य से भारत में राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपना प्रतिष्ठित प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया।
- आदिवासियों और ओटीएफडी ने इस प्रक्रिया का विरोध कियाय लेकिन औपनिवेशिक सत्ता से हिंसक दमन का सामना करना पड़ा जहां हजारों लोग मारे गए और विस्थापित हुए। लेकिन लोगों ने संघर्ष जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप अंततः भारतीय संसद द्वारा वन अधिकार अधिनियम (अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम) लागू हुआ।
- हमारी संसद ने संविधान बनने के 56 साल बाद वनवासियों विशेषकर आदिवासी समुदाय पर सदियों से चले आ रहे ष्ऐतिहासिक अन्यायष् को मान्यता दी।
- यह कानून भूमि और वन संसाधनों पर अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
- इतना ही नहीं, यह वन संसाधनों और वन भूमि पर ग्राम परिषद (ग्राम सभा) के अधिकारों को सर्वोच्च मानता है। वस्तुतः अधिनियम की किसी भी धारा में कोई भी परिवर्तन किसी भी न्यायालय, प्रशासन द्वारा नहीं किया जा सकता है। ग्राम परिषद की अनुमति के बिना सरकार या कोई अन्य कार्यालय।
- वन अधिकार अधिनियम वन भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार और स्वामित्व अधिकार को मान्यता देता है, यह वन संसाधनों के उपयोग के सामूहिक अधिकारों को भी मान्यता देता है। यह वन उपज के उपयोग, संग्रहण और बिक्री का अधिकार देता है।

एफआरए के तहत सामुदायिक दावे क्या हैं?

- इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिये हैं। ग्राम सभा को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, इसीलिए सबसे पहला काम जीएस (ग्राम परिषद) को मजबूत करना है।
- दावा आपकी पहचान की ओर पहला कदम है। बिना दावे के अधिकारियों से कोई बातचीत शुरू नहीं होगी.
- सामुदायिक दावा करने का अर्थ यह है कि जो हमारे पूर्वजों का था वह वन अधिकार अधिनियम के तहत हमारा है और इसलिए उस पर हमारा अधिकार स्थापित हो गया है। अब हमें किसी अधिकारी, सरकार या किसी न्यायालय में आवेदन नहीं करना है बल्कि वन भूमि और संसाधनों पर अपना दावा सुनिश्चित करना है।
- समुदाय के दावे केवल एकजुट होकर, एक साथ रहकर ही किए जा सकते हैं, इसलिए हमारे संगठन, संघ को मजबूत करना और समुदाय के सदस्यों के लिए दावे तैयार करने में मदद करना आवश्यक है।
- दावा दायर करना हमारा ष्अधिकारष है, इसे पुनः प्राप्त करना हमारा अधिकार है। हमें एक साथ आने और संगठित होने की जरूरत है।
- दावा भरना बैंक खाता खोलने जैसा नहीं है, दावा दाखिल करना हमारे पूर्वजों – हमारी पीढ़ियों के इतिहास को दर्ज करने की प्रक्रिया है।
- इस दावे के तहत हमें अपने जंगल का रिकॉर्ड भी रखना होता है. हमारे ग्राम सभा या टोले का कितना क्षेत्रफल जंगल है, कितने पेड़ और किस प्रकार के पेड़ हैं, किस प्रकार की जड़ी–बूटियाँ हैं, कितने प्रकार के पक्षी, जानवर हैंय समुदायों के पारंपरिक क्षेत्रों में पहाड़ियों, पहाड़ों, झीलों, नदियों, झरनों, मंदिरों, ऐतिहासिक स्थानों का रिकॉर्ड।
- जनजातीय मंत्रालय कानून को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी होगी। दावे का मतलब है कि हम अपना इतिहास दर्ज करेंगे– कम से कम 500 साल का और 75 साल के प्रावधान को चुनौती देंगे. इसी आधार पर हम वन विभाग के इतिहास को भी चुनौती देंगे.

व्यक्तिगत दावेरू अधिनियम धारा 3(प)(ए,बी,सी)

- (ए) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा निवास के लिए या आजीविका के लिए स्वयं–खेती के लिए व्यक्तिगत या सामान्य व्यवसाय के तहत वन भूमि पर कब्जा करने और रहने का अधिकार
-
- (बी) निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जिनमें पूर्ववर्ती रियासतों, जमींदारी या ऐसे मध्यस्थ शासनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकार भी शामिल हैं।
-
- (सी) स्वामित्व का अधिकार, लघु वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान तक पहुंच, जो परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र की जाती रही हैय

सामुदायिक अधिकाररू अधिनियम धारा (3)(प)(डी–एच)

- (डी) उपयोग या हकदारियों के अन्य सामुदायिक अधिकार जैसे मछली और जल निकायों के अन्य उत्पाद, चराई (दोनों बसे हुए या ट्रांसह्यूमन) और खानाबदोश या पशुपालक समुदायों के पारंपरिक मौसमी संसाधन पहुंच
- (ई) आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व–कृषि समुदायों के लिए आवास और आवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार
- (एफ) किसी भी राज्य में किसी भी नामकरण के तहत विवादित भूमि पर या उस पर अधिकार, जहां दावे विवादित हैं
- (छ) वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या पट्टों या अनुदानों को स्वामित्व में बदलने का अधिकार
- (ज) सभी वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, सर्वेक्षण रहित ग्रामों तथा वनों में स्थित अन्य ग्रामों, चाहे वे अभिलेखित हों, अधिसूचित हों या राजस्व ग्रामों में न हों, के बसावट तथा रूपांतरण के अधिकार

संशोधन 2012 – वन अधिकार अधिनियम रू कहता है

- फॉर्म ष्एष् (व्यक्तिगत अधिकार) के साथ, सामूहिक वन संसाधन अधिकार का नया फॉर्म श्सीश – फॉर्म ष्बीष् में पूरे गांव के सामूहिक अधिकारों को दाखिल करने के प्रावधान के साथ पेश किया गया था।
- जनजातीय मंत्रालय के 7 अगस्त 2013 के आदेश के अनुसार अनुमान है कि 100 मिलियन वनवासी भोजन, आश्रय, दवाओं, नकद आय आदि के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी) पर निर्भर हैं।
- ष्एमएफपी के निपटानष् में व्यक्तिगत या सामूहिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर परिवहन के माध्यम से ऐसी उपज के उपयोग या संग्रहकर्ताओं द्वारा बिक्री या आजीविका के लिए उनकी सहकारी समितियों या संघ या संघों द्वारा बिक्री का अधिकार शामिल होगा। नियम 2(डी)
- बारह अनुमोदित वस्तुओं की सूची में से कोई भी एमएफपी, अर्थात्, (प) तेंदू, (पप) बांस, (पपप) महुवा बीज, (पअ) साल पत्ता, (अ) साल बीज, (अप) लाख, (अपप) चिरौंजी (बीज), (अपपप) जंगली शहद, (प•) मायोराबालन (हरिताध्हरड़), (•) इमली, (•प) गोंद (गोंद करया) और (•पप) करंज योजना के तहत कवरेज के लिए योग्य होंगे, बशर्ते कि ऐसा न हो राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत। इन वन उपज मौद्रिक संपदा को वन विभाग, संबंधित बिचौलियों और अन्य लोगों द्वारा विनियोजित किया जाता है। इन वन उपजों पर पूर्ण अधिकार का दावा करने से वनवासियों को गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और उनका समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।
- कम से कम 2ध्3 सदस्यों का एसटी होना आवश्यक है और जहां सभी दावेदार ओटीएफडी हैं, वहां 1ध्3 सदस्यों का महिला होना आवश्यक है।

वन और भूमि अधिकारों पर महिलाओं के स्वतंत्र अधिकार

- एफआरए महिलाओं को वन और भूमि अधिकारों पर स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है।
- यह अधिनियम एकल महिलाओं जैसे विधवा, अलग हो चुकी महिलाओं को भी वन संसाधनों और वन भूमि पर अधिकार प्रदान करता है।
- ग्राम वन अधिकार समिति में महिलाएँ कम से कम एक तिहाई सदस्य होंगी।
- उपमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति में भी कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
- यह उन अधिनियमों में से एक है जो भूमि और जंगल पर महिलाओं को स्वतंत्र अधिकारों की गारंटी देता है, कई अन्य भूमि कानूनों के विपरीत जो केवल विरासत कानूनों के माध्यम से भूमि पर अधिकार प्रदान करता है।

चरण 1रू वन अधिकार समिति का गठन

- ग्राम सभा (जीएस) का गठन करनारू जीएस ऐसे गांवों का होगा जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं और यह जीएस गांव के सभी वयस्क सदस्यों से बनेगा। जीएस का गठन ऐसे सभी राजस्व ग्राम, वन ग्राम, टोंगिया गांव, पाड़ा, टोला या ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है, जहां जीएस नहीं है. नियम धारा 2 (पी)
- जीएस की बैठक में कोरम एक तिहाई होगा। (नियम) धारा 4(2)
- जीएस का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें ग्राम वन अधिकार समिति (वीएफआरसी) के गठन का प्रस्ताव लिया जाएगा। (ग्राम सभा के प्रस्ताव का प्रारूप अगली स्लाइड में दिया गया है।) (नियम) धारा 3(1)
- वीएफआरसी में कम से कम 10 से अधिकतम 15 व्यक्तियों का चुनाव करना, जिसमें महिलाओं की संख्या एक तिहाई, दो तिहाई अनुसूचित जनजाति से और जहां कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, वहां कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। (नियम)धारा 3(1)
- वीएफआरसी अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करेगा और आवेदन में सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर और ग्राम सभा के हस्ताक्षर लिखकर उप–मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) को सूचित करेगा। (नियम) धारा 3(2)
- वन अधिकार समिति को ग्राम परिषद को सभी दावे दायर करने, प्रबंधन योजना बनाने और वनों की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

ग्राम सभा के साथ–साथ ग्राम वन अधिकार समिति (वीएफआरसी) के गठन के लिए संकल्प का प्रारूप

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत,ऋऋऋऋ वन प्रभाग, जीएस और वीएफआरसी संकल्प लेते हैंरू
- आज दिनांक को३३.हम गांववासी३३. तहसील३३. जिला३३राज्य३३अधिनियम की धारा (3) के तहत गांव के सदस्यों की खुली बैठक में वीएफआरसी बनाने का संकल्प लें.. इस अधिनियम की धारा (2)(6) में, "ग्राम सभा" का अर्थ है ग्राम समिति जिसमें गांव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं और उन राज्यों के मामले में जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है, श्पाड़ा टोलाश और ऐसी अन्य पारंपरिक ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समिति, चाहे वे किसी भी नाम से जानी जाती हों।
- हमने कानून के आधार पर ग्राम सभा का गठन किया है और वीएफआर समिति का भी गठन किया है.
- यह वीएफआरसी सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधनों का सत्यापन करेगा और दावों को उपखंड समिति को प्रस्तुत करेगा। वीएफआरसी दावे से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत मुहैया कराने का काम करेगा. यह समिति सामुदायिक वन संसाधनों का मानचित्र तैयार करेगी तथा वनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा हेतु ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करेगी। वन, वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समिति ग्राम सभा में काम करेगी, प्रशिक्षण लेगी और ग्राम सभा के सदस्यों को भी प्रशिक्षित करेगी.

जीएस के साथ–साथ वीएफआरसी के गठन के लिए संकल्प का प्रारूप (जारी)

- इस कानून के तहत संशोधित नियम 2012 के तहत ग्राम स्तरीय समिति द्वारा वन उपज एवं जड़ी–बूटियों का संग्रहण कर गांव में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का विकास किया जाएगा, साथ ही वन उपज को बेचने एवं आर्थिक आय बढ़ाने के लिए सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। कानून,
- जो कोई भी इस कानून के खिलाफ काम करेगा, चाहे वह ग्राम सभा का सदस्य हो, समिति का पदाधिकारी हो, वन विभाग के कर्मचारी–अधिकारी हों या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे लोगों के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
- अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है, ष्जहां कोई प्राधिकारी या समिति या कोई अधिकारी या ऐसे प्राधिकारी या समिति का सदस्य इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित इसके तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो वह या होगा। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है। जैसे विनाश, सामान लूटना, झूठे मामले दर्ज करना, लोगों की पिटाई करना और हत्या करना, वीएफआरसी ऐसे दोषी वन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
- ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के निर्वाचित सदस्यों के नाम – यहां सभी निर्वाचित सदस्यों के नाम और उनके हस्ताक्षर देने हैं। प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति को भेजा जा सकता है।

चरण 2रू दावों की तैयारीरू ग्राम सभा और ग्राम वन अधिकार समिति की जिम्मेदारियाँ

- वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू करना और दायर दावों से संबंधित सुनवाई करना। नियम धारा 4(1)(ए)
- दावेदारों की एक सूची तैयार करें और दावे और दावेदारों के विवरण का एक रजिस्टर बनाए रखें। (नियम) धारा 4(1)(बी)
- सामुदायिक वन संसाधनों की सूची तैयार करेंगे, सामुदायिक वन और भूमि का नक्शा तैयार करेंगे और लघु वन उपज की सूची तैयार करेंगे और पूरी फाइल उपमंडल स्तरीय समिति को भेजेंगे। खनियम धारा 4(1)सी),
- नोटरू ष्सामुदायिक वन संसाधनष् का अर्थ है गाँव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि या देहाती समुदायों के मामले में परिदृश्य का मौसमी उपयोग, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। समुदाय को पारंपरिक पहुंच प्राप्त थी ख्अधिनियम धारा 2(ए),
- राज्य के अधिकारियों द्वारा ग्राम वन अधिकार समिति को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। खनियम धारा 4(3),

चरण 3–दावे दाखिल करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा और ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा निर्धारण और सत्यापन – नियम धारा 11

- ग्राम सभा दावे मांगेगी और वन अधिकार समिति को दावा स्वीकार करने के लिए अधिकृत करेगी। नियम धारा 11(1)(ए)
- वीएफआरसी अपने सामुदायिक वन संसाधन के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा और निकटवर्ती जीएस जहां पर्याप्त ओवरलैप हैं और उप–विभागीय स्तर की समिति को तारीख सूचित करेगा। नियम 11(1)(बी)
- वन अधिकार समिति ग्राम सभा को उसके कार्यों में सहायता करेगीरू नियम 11(2)
- ऐसे दावों के समर्थन में निर्दिष्ट प्रपत्र और साक्ष्य में दावे प्राप्त करें, स्वीकार करें और रखें, दावों का रिकॉर्ड और मानचित्र सहित साक्ष्य तैयार करें, वन अधिकारों पर दावेदारों की एक सूची तैयार करें, इन नियमों में दिए गए दावों को सत्यापित करें, अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें ग्राम सभा के समक्ष विचार हेतु दावे की प्रकृति और सीमा।

चरण 3 (जारी)

नियम धारा 11(2)

- ग्राम वन अधिकार समिति ग्राम सभा की ओर से सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए प्रपत्र ष्बीष और ष्सीष में दावे तैयार करेगी।

- निष्कर्ष प्राप्त होने पर ग्राम सभा पूर्व सूचना के साथ बैठक करेगी, वन अधिकार समिति के निष्कर्षों पर विचार करेगी, उचित प्रस्ताव पारित करेगी और उसे उप–विभागीय स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी।

चरण 4 – ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दावों के सत्यापन की प्रक्रिया – नियम 12(1)(ए)

वन अधिकार समिति द्वारा दावों के सत्यापन की प्रक्रिया.–

- वन अधिकार समिति, संबंधित दावेदार और वन विभाग को उचित सूचना देने के बादरू–
- (ए) साइट पर जाएं और साइट पर दावे और साक्ष्य की प्रकृति और सीमा का भौतिक सत्यापन करेंय (बी) दावेदार और गवाहों से कोई और सबूत या रिकॉर्ड प्राप्त करेंय (सी) सुनिश्चित करें कि चरवाहों और खानाबदोश जनजातियों से दावा किया गया है उनके अधिकारों का निर्धारण, जो या तो व्यक्तिगत सदस्यों, समुदाय या पारंपरिक सामुदायिक संस्था के माध्यम से हो सकता है, उस समय सत्यापित किया जाता है जब ऐसे व्यक्ति, समुदाय या उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैंय
- (डी) सुनिश्चित करें कि आदिम जनजातीय समूह या पूर्व–कृषि समुदाय के सदस्यों के आवास के अधिकारों के निर्धारण के दावे, जो या तो उनके समुदाय या पारंपरिक सामुदायिक संस्थान के माध्यम से हो सकते हैं, का सत्यापन तब किया जाता है जब ऐसे समुदाय या उनके प्रतिनिधि मौजूद होते हैंय और
- (ई) प्रत्येक दावे के क्षेत्र को पहचानने योग्य स्थलों को दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार करें।

चरण 4रू जारी

- एफ) अन्य सदस्यों के साथ सामुदायिक वन संसाधन की पारंपरिक सीमाओं को चित्रित करना
- ग्राम सभा के बुजुर्गों सहित जो ऐसी सीमाओं और रीति–रिवाजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं
- पहुँच
- (छ) पहचानने योग्य भूमि चिह्नों के साथ एक सामुदायिक वन संसाधन मानचित्र तैयार करें
- नियम 13 के उप–नियम (2) और उसके बाद, ऐसे समुदाय में गिनाए गए पर्याप्त साक्ष्य
- वन संसाधन दावे को ग्राम सभा द्वारा पारित एक साधारण प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा
- बहुमत।
-
- स्पष्टीकरणरू सामुदायिक वन संसाधन के चित्रण में मौजूदा कानूनी शामिल हो सकते हैं
- आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसी सीमाएं और इस तरह का चित्रण ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों की पहुंच, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग में समुदाय की शक्तियों को औपचारिक रूप देगा और मान्यता देगा।

अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया

- वन अधिकार समिति से सूचना प्राप्त होने पर, वन और राजस्व विभाग के अधिकारी दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान साइट पर उपस्थित रहेंगे और अपने पदनाम, तिथि और टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेंगे। . नियम 12(ए)(1)
- धारा 3 की उप–धारा के खंड (ए) के तहत मान्यता प्राप्त स्व–खेती के लिए भूमि अधिकार, निर्दिष्ट सीमा के भीतर होंगे, जिसमें खेती के लिए सहायक गतिविधियों जैसे कि मवेशियों को रखने के लिए, उजाड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि भी शामिल है। फसल कटाई के बाद की अन्य गतिविधियाँ, चक्रीय परती, वृक्ष फसलें और उपज का भंडारण। नियम 12(ए)(8)

चरण 5—वन अधिकारों के निर्धारण के लिए साक्ष्य
(व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों के लिए)

वन अधिकारों की मान्यता और निहितार्थ के साक्ष्य में शामिल होंगे –

- सार्वजनिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड जैसे ब्रिटिश सरकार के गजेटियर, जनगणना, सर्वेक्षण और निपटान रिपोर्ट, मानचित्र, उपग्रह इमेजरी, कार्य योजना, प्रबंधन योजना, सूक्ष्म योजना, वन जांच रिपोर्ट, अन्य वन रिकॉर्ड, अधिकारों का रिकॉर्ड, चाहे जिसे भी नाम दिया जाए, पट्टे या पट्टे, सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों की रिपोर्ट, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प। नियम (13)(1)(ए)
- सरकार द्वारा अधिकृत दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, गृह कर रसीदें, अधिवास प्रमाण पत्र (केवल व्यक्तिगत दावों के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है) नियम (13)(1)(बी)
- अदालती आदेशों और निर्णयों सहित अर्ध–न्यायिक और न्यायिक रिकॉर्ड। नियम (13)(1)(डी)

चरण 5 (जारी)

- पूर्ववर्ती रियासतों या प्रांतों या ऐसे अन्य मध्यस्थों से मानचित्र, अधिकारों, विशेषाधिकारों, रियायतों, उपकारों का रिकॉर्ड सहित कोई भी रिकॉर्ड। नियम (13)(1)(एफ)
- प्राचीनता स्थापित करने वाली पारंपरिक संरचनाओं की सूची जैसे कुएं, कब्रिस्तान, पवित्र स्थान, पुराने खंडहर। नियम (13)(1)(जी)
- वंशावली उन व्यक्तियों की वंशावली का पता लगाती है जिनका उल्लेख पहले के भूमि अभिलेखों में किया गया है या जिन्हें पहले की अवधि में गाँव के वैध निवासी के रूप में मान्यता दी गई है। नियम (13)(1)(ज)
- बुजुर्गों का लिखित बयान. नियम (13)(1)प)

चरण 6

ष्सामुदायिक वन संसाधन – नियम धारा 13(2) के लिए अन्य साक्ष्य

- सामुदायिक अधिकार जैसे प्रथागत अधिकार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाता हो। नियम (13)(2)(ए)
- पारंपरिक चरागाहय जड़ों और कंदों, चारे, जंगली खाद्य फलों और अन्य लघु वन उपज के संग्रह के लिए क्षेत्रय मछली पकड़ने के आधारय सिंचाई प्रणालियांय मानव या पशुधन के उपयोग के लिए पानी के स्रोत, हर्बल चिकित्सकों के औषधीय पौधे संग्रह क्षेत्र। नियम (13)(2)(बी)
- स्थानीय समुदायों द्वारा निर्मित संरचनाओं के अवशेष, पवित्र पेड़, गुफाएं, तालाब, नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या श्मशान। नियम (13)(2)(सी)
- ग्राम सभा, उपमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त साक्ष्यों में से एक से अधिक पर विचार करेगी। नियम (13)(3)

चरण 7

उपखंड स्तरीय समिति के कार्य – नियम धारा 6

- इन नियमों के अधिनियम (फॉर्म ए, बी और सी) में दिए गए अनुसार दावेदारों को दावों के प्रोफार्मा की आसान और मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। नियम धारा (6)(एल)
- यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा की बैठकें कोरम के साथ स्वतंत्र, खुले और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। नियम धारा (6)(एम)
- प्रत्येक ग्राम सभा को महत्वपूर्ण वनस्पतियों और जीवों के संदर्भ में वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की सुरक्षा के प्रति उनके कर्तव्यों और वन अधिकार धारकों और अन्य लोगों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करें, जिन्हें संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। नियम धारा (6)(ए)
- ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची प्रदान करें। नियम धारा (6)(बी)
- संबंधित ग्राम सभाओं के सभी प्रस्तावों को एकत्रित करें। नियम धारा (6)(सी)

चरण 7 (जारी)

- ग्राम सभाओं द्वारा प्रदान किए गए मानचित्रों और विवरणों को समेकित करें। नियम धारा (6)(डी)
- दावों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं के प्रस्तावों और मानचित्रों का परीक्षण करें। नियम धारा (6)(ई)
- ग्राम सभाओं के प्रस्तावों से पीड़ित व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध राज्य द्वारा मामले भी दायर किए गए हैं, के आवेदनों पर भी सुनवाई होगी। नियम धारा (6)(जी)
- शासकीय अभिलेखों का मिलान कर प्रस्तावित वनाधिकारों का ब्लॉक एवं तहसीलवार प्रारूप अभिलेख तैयार किया जायेगा। नियम धारा (6)(प)
- प्रस्तावित वन अधिकार के प्रारूप अभिलेख के साथ दावे अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को अंतिम निर्णय हेतु भेजे जायेंगे। नियम धारा (6)(जे)
- अधिनियम के तहत और नियमों की धारा (6)(के) के तहत निर्धारित उद्देश्यों और प्रक्रियाओं के बारे में वनवासियों के बीच जागरूकता बढ़ाएं।

जिला स्तरीय समिति के कार्य (नियम धारा 8)

- सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जानकारी ग्राम सभा या वन अधिकार समिति को प्रदान की गई है। नियम धारा (8)(ए)
- जांच करें कि क्या सभी दावों, विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों, चरवाहों और खानाबदोश जनजातियों के दावों को अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संबोधित किया गया है। नियम धारा (8)(बी)
- उपखण्ड समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकार दावों एवं अभिलेखों पर विचार करने के बाद डीएलसी इसे अंतिम रूप देगी तथा वन अधिकार एवं स्वामित्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संबंधित दावेदार एवं ग्राम सभा को देगी तथा राजस्व में अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित करेगी। अभिलेख.
- उपमंडल स्तरीय समिति के आदेश या ग्राम सभा के आवेदन से व्यथित व्यक्तियों की याचिकाएं सुनें
- सुनिश्चित करें कि अधिनियम के तहत वन अधिकारों और स्वामित्व के रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति क्रमशः संबंधित दावेदार और ग्राम सभा को प्रदान की जाए।

राज्य स्तरीय निगरानी समिति (नियम धारा 10)

- राज्य निगरानी समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे।
- राज्य में वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करना
- वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करने, क्षेत्र स्तर की समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करें और इन नियमों के अनुबंध ट के रूप में संलग्न प्रारूप में एक त्रैमासिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करें। दावों की स्थिति, अधिनियम के तहत आवश्यक कदमों के अनुपालन, स्वीकृत दावों का विवरण, अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हो, और लंबित दावों की स्थिति के संबंध में उनका मूल्यांकन
- अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंय

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रपत्र

FORM – B

CLAIM FORM FOR COMMUNITY RIGHTS

[See Rule 11(1)(a) and (4)]

1. Name of the claimant(s):
   (a) FDST community: Yes/No
   (b) OTFD community: Yes/No
2. Village:
3. Gram Panchayat:
4. Tehsil/Taluka:
5. District:

Nature of community rights enjoyed:

1. Community rights such as *nistar*, if any:
   (See Section 3(1)(b) of the Act)
2. Rights over minor forest produce, if any:
   (See Section 3(1)(c) of the Act)
3. Community rights
   (a) Uses or entitlements (fish, water bodies), if any:
   (b) Grazing, if any
   (c) Traditional resource access for nomadic and pastoralist, if any:
   (See Section 3(1)(g) of the Act)
4. Community tenures of habitat and habitation for PTGs and pre-agricultural communities, if any:
   (See Section 3(1)(e) of the Act)
5. Right to access biodiversity, intellectual property and traditional knowledge, if any:
   (See Section 3(1)(k) of the Act)
6. Other traditional right, if any:
   (See Section 3(1)(l) of the Act)
7. Evidence in support:
   (See Rule 13)
8. Any other information

Signature/Thumb Impression of the Claimant(s):

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Rules, 2007
Government of India
Ministry of Tribal Affairs

सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार के लिए दावा प्रपत्र

FORM – C[24]

CLAIM FORM FOR RIGHTS TO COMMUNITY FOREST RESOURCE

[See Section 3(1)(i) of the Act and Rule 11(1) and 4(a)]

1. Village/Gram Sabha:
2. Gram Panchayat:
3. Tehsil/Taluka:
4. District:
5. Name(s) of members of the gram sabha [Attach as separate sheet, with status of Scheduled Tribes/ Other Traditional Forest Dwellers indicated next to each member].

   Presence of few Scheduled Tribes/Other Traditional forest Dwellers is sufficient to make the claim.

   We, the undersigned residents of this Gram Sabha hereby resolve that the area detailed below and in the attached map comprises our Community Forest Resource over which we are claiming recognition of our forest rights under Section 3(1)(i).

   (Attach a map of the community forest resource, showing location, landmarks within the traditional or customary boundaries of the village or seasonal use of landscape in the case of pastoral communities to which the community had traditional access and which they have been traditionally protecting, regenerating, conserving and managing for sustainable use. Please note that this need not correspond to existing legal boundaries.)
6. Khasra/Compartment No.(s), if any and if known:
7. Bordering Villages:

   (i)

   (ii)

   (iii)

   (This may also include information regarding sharing of resources and responsibilities with any other villages.)
8. List of Evidence in Support (Please see Rule 13)

Signature/Thumb impression of the Claimant(s):

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012
Government of India
Ministry of Tribal Affairs

सामुदायिक वन संसाधनों का शीर्षक

TITLE TO COMMUNITY FOREST RESOURCES

[See Rule 8(i)]

1. Village/Gram Sabha:
2. Gram Panchayat:
3. Tehsil/Taluka:
4. District:
5. Scheduled Tribe/Other Traditional Forest Dweller: Scheduled Tribes community/Other Traditional Forest Dwellers community/Both
6. Description of boundaries including customary boundary, by prominent landmarks, and by khasra/ compartment No:

Within the said area, this community has the right to protect, regenerate or conserve or manage, and this (to be named) community forest resources which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable used as per Section 3(1)(i) of the Act. No conditions are being imposed on this right other than those in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act and the Rules framed thereunder.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government affix our signatures to confirm the community forest resource (to be named and specified in extent, quantum, area, whichever is applicable) as mentioned in the Title to the above mentioned gram sabha/community(ies).

(Divisional Forest Officer/
Deputy Conservator of Forests)

(District Tribal Welfare Officer)

(District Collector/Deputy Commissioner)

अधिकारों के उल्लंघन पर कानून में सजा का प्रावधान

- यदि किसी प्राधिकरण या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य वन अधिकार अधिनियम 2006 और वन अधिकार नियम 2008 का उल्लंघन करता है, तो उसे वन अधिकार अधिनियम के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा, उसकी जांच की जा सकती है और एक हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके खिलाफ लगाया जाए. अधिनियमख्धारा 7,
- ग्राम सभा ऐसे प्राधिकारी, समिति या अधिकारी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जो इस कानून का उल्लंघन करता है और इसे राज्य निगरानी समिति को भेज सकता है। यदि राज्य निगरानी समिति 60 दिनों के भीतर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच नहीं करती है, तो कोई भी अदालत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इन अपराधों पर संज्ञान ले सकती है और आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है। अधिनियम ख्धारा 8,
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 8 के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई करना राज्य निगरानी समिति की जिम्मेदारी है। खनियम 10(2),

गांव के बुजुर्ग लोगों की घोषणा

नमूना

- मैं बेटाध्बेटी ————————, उम्र ———————— (प्रमाण देना होगा) निवासी गांव————————
- जिला ————————————, राज्य ————————————, इस गांव में ———————— वर्षों से निवास कर रहे हैं।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं अपनी आयु का प्रमाण उचित दस्तावेजों और अपने गांव के सदस्यों की घोषणा के साथ प्रदान कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पूर्वज इसी गांव के थे और अनादिकाल से इसी गांव में रहते आ रहे हैं। सभी वन संसाधन मेरे पूर्वजों के हैं और हम इन विशाल वन भूमि और संसाधनों के वैध आश्रित और मालिक हैं।

———————————————— एफआरसी स्टांप के साथ हस्ताक्षर करें

सामुदायिक अधिकारों की सूची सोनभद्र, यूपी दृ नमूना

सामुदायिक अधिकारों की प्रकृति (जलाशय, नदियाँ, तालाब, चरागाह, खुले मैदान और रास्ते, वन संसाधन इत्यादि, जिनका उपयोग घरेलू उपयोग जैसे घर बनाने और खाना पकाने आदि के लिए किया जाता है।

सामुदायिक अधिकारों की सूची सोनभद्र, यूपी– नमूना

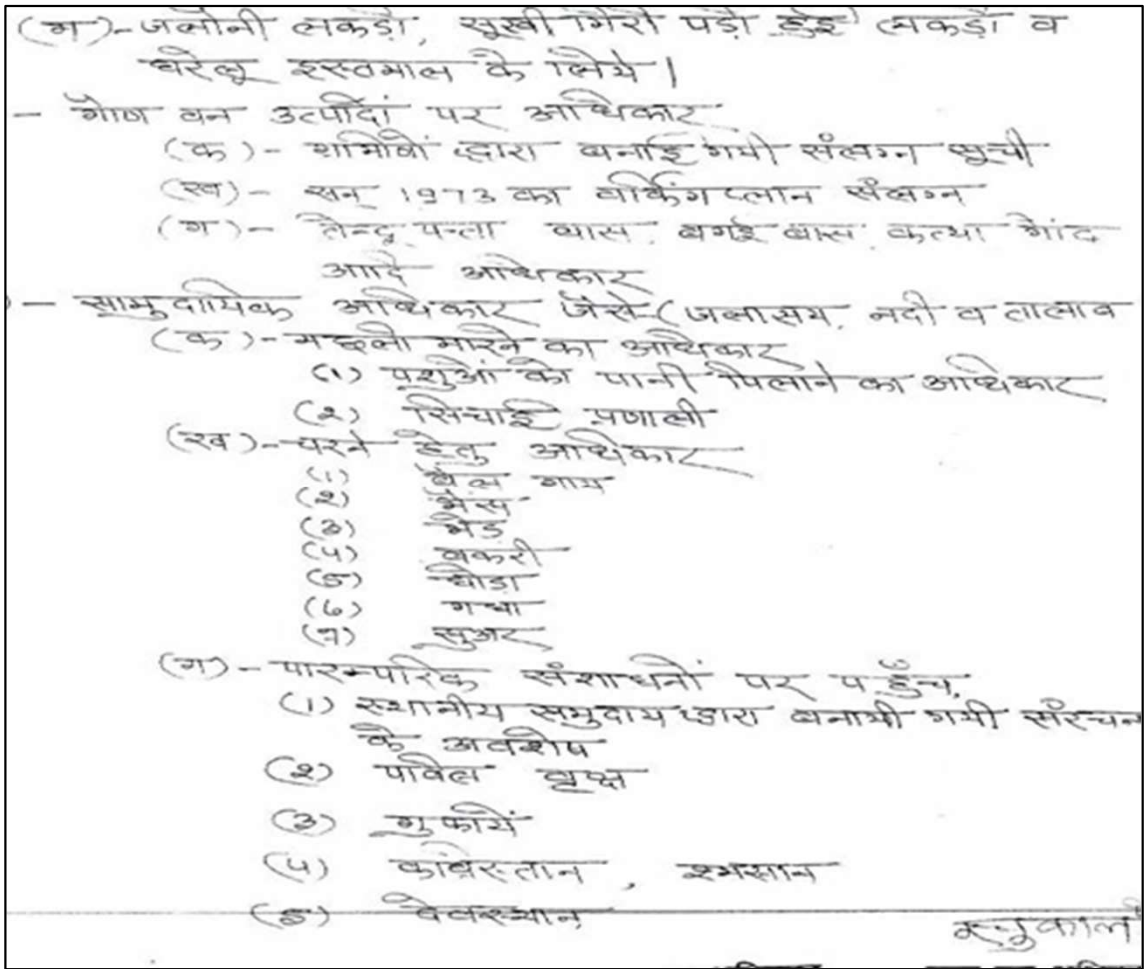

(ग)- जलौनी लकड़ी, सूखी गिरी पड़ी हुई लकड़ी व घरेलू इस्तमाल के लिये।

– गौण वन उत्पादों पर अधिकार

(क)- ग्रामीणों द्वारा बनाई गयी संलग्न सूची

(ख)- सन् 1973 का वर्किंग प्लान संलग्न

(ग)- तेन्दू पत्ता घास, बगई घास, कत्था, गोंद आदि अधिकार

– सामुदायिक अधिकार जैसे (जलाशय, नदी व तालाब

(क)- मछली मारने का अधिकार

(१) पशुओं को पानी पिलाने का अधिकार

(२) सिंचाई प्रणाली

(ख)- चरने हेतु अधिकार

(१) बैल गाय

(२) भैंस

(३) भेड़

(४) बकरी

(५) घोड़ा

(६) गधा

(७) सुअर

(ग)- पारम्परिक संसाधनों पर पहुँच,

(१) स्थानीय समुदाय द्वारा बनायी गयी संरचना के अवशेष

(२) पवित्र वृक्ष

(३) गुफायें

(४) कब्रिस्तान, श्मशान

(५) देवस्थान

[illegible]

सामुदायिक अधिकारों की सूची– सोनभद्र, यूपी–नमूना

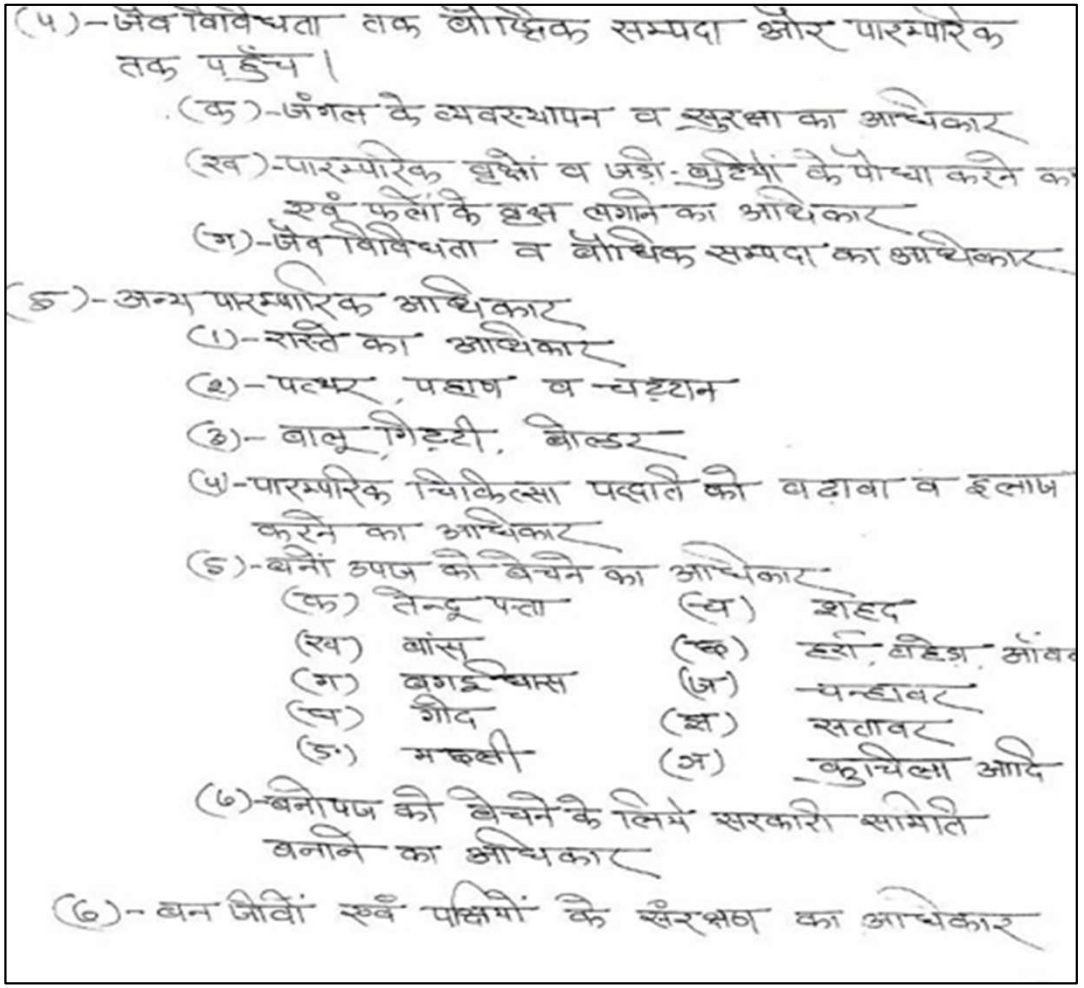

(4)–जैव विविधता तक बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक तक पहुँच।

(क)-जंगल के व्यवस्थापन व सुरक्षा का अधिकार

(ख)-पारम्परिक वृक्षों व जड़ी-बूटियों के पौधा करने का एवं फलों के वृक्ष लगाने का अधिकार

(ग)-जैव विविधता व बौद्धिक सम्पदा का अधिकार

(5)-अन्य पारम्परिक अधिकार

(1)-रास्ते का अधिकार

(2)-पत्थर, पहाण व चट्टान

(3)-बालू, गिट्टी, बोल्डर

(4)-पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा व इलाज करने का अधिकार

(5)-वनों उपज को बेचने का अधिकार

(क)	तेन्दू पत्ता	(च)	शहद
(ख)	बांस	(छ)	हर्रा, बहेड़ा, आँव
(ग)	बगड़ घास	(ज)	चन्हावर
(घ)	गोंद	(झ)	सतावर
(ङ)	मछली	(ञ)	कुचिला आदि

(6)-वनोपज को बेचने के लिये सरकारी समिति बनाने का अधिकार

(6)-वन जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण का अधिकार

ग्राम धूमा, सोनभद्र द्वारा तैयार किये गये मानचित्र का एक उदाहरण

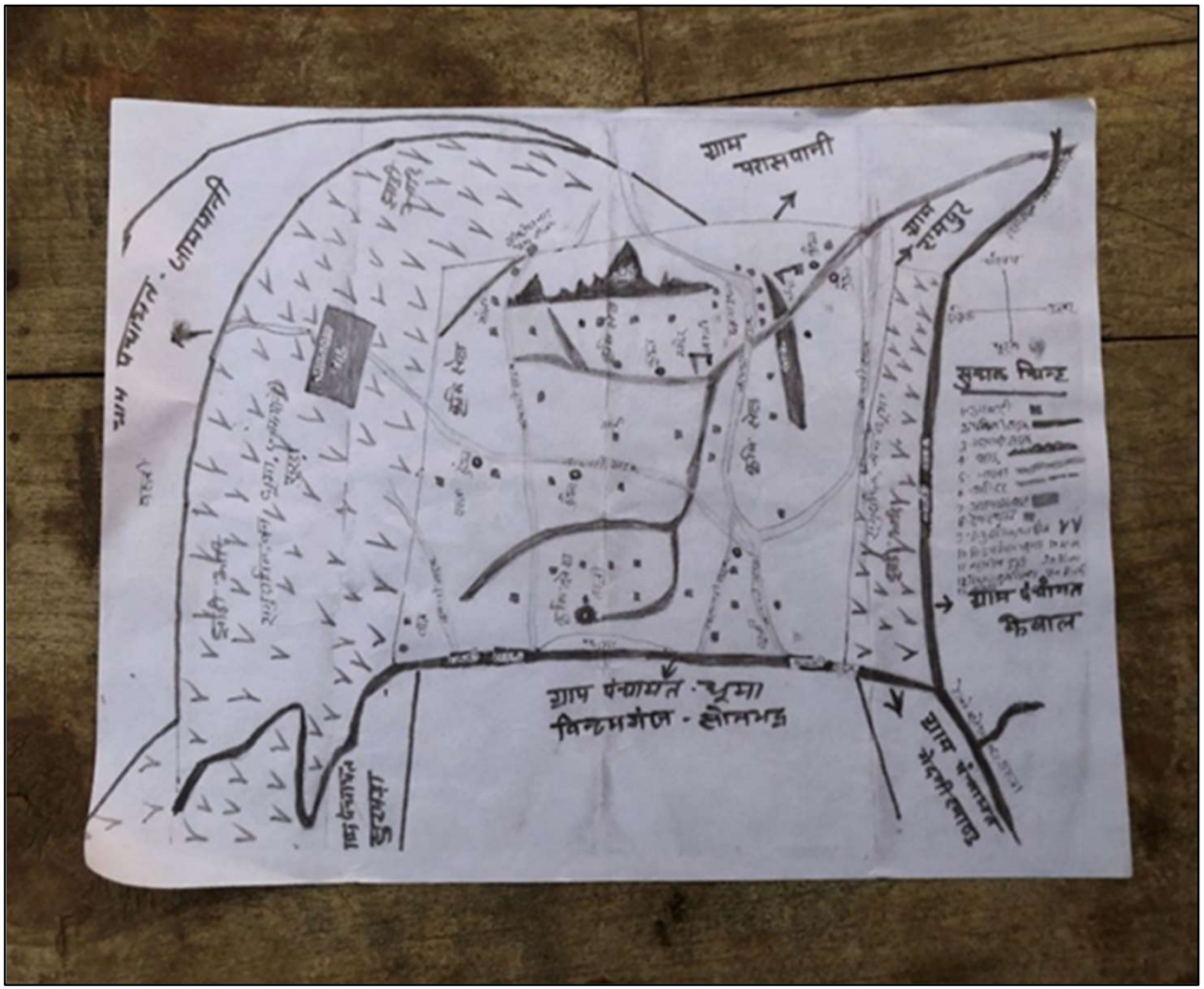

सोननगर गांव, सोनभद्र के मानचित्र का एक उदाहरण

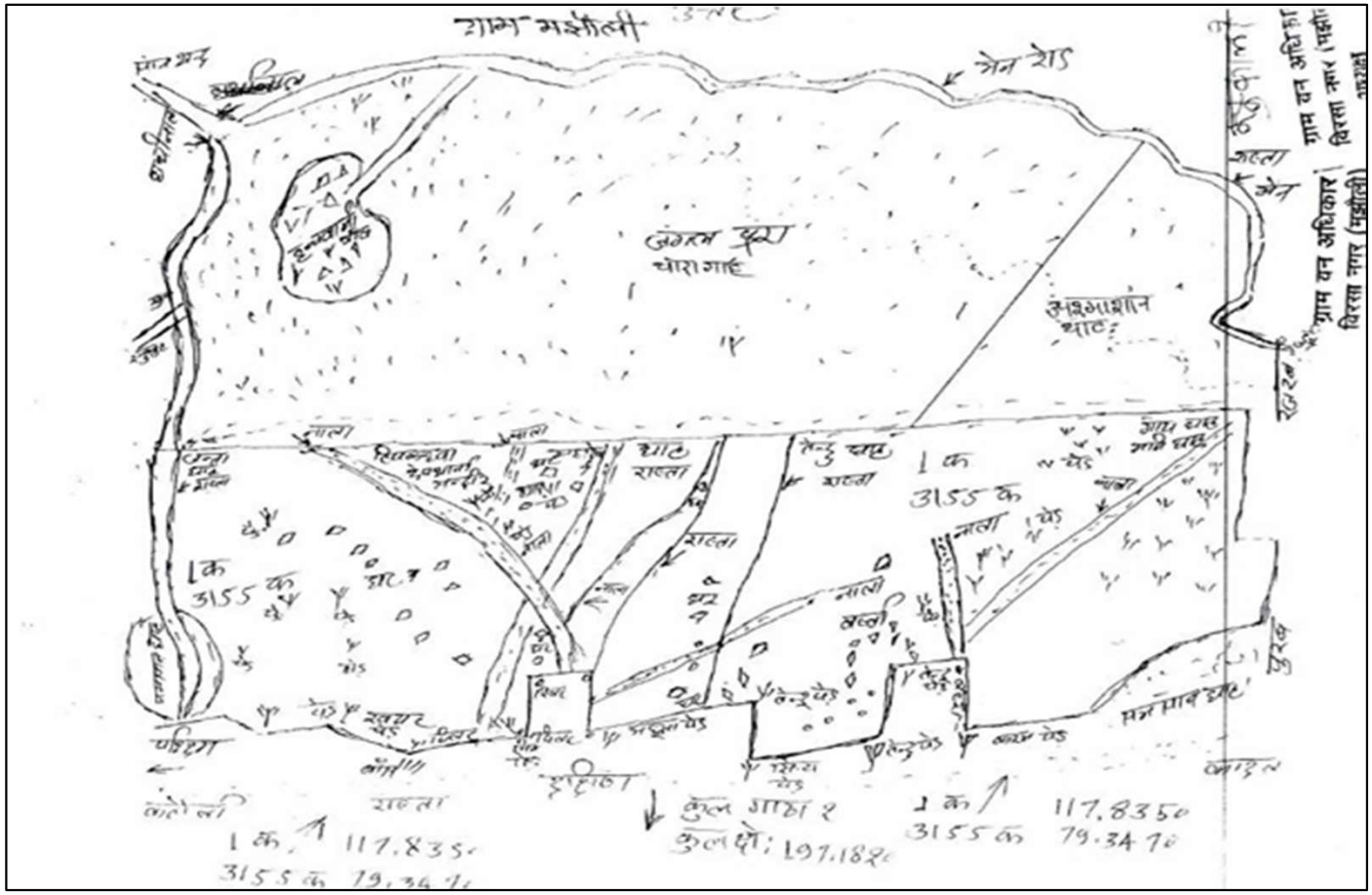

दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, यूपी में पाए जाने वाले वन उपज की एक सूची

ग्राम..............................के वनक्षेत्र से प्राप्त होने वाले गौण वनोत्पादों की सूचि

दुधवा नेशनल पार्क वनक्षेत्र पलिया कलां–खीरी उ0प्र0

क.सं.	गौण वनोत्पाद का नाम	उत्पाद के प्राप्त होने की अवधि	क.सं	गौण वनोत्पाद का नाम	उत्पाद के प्राप्त होने की अवधि
1	पिंदारे	जून से फरवरी	57	जलौनी लकड़ी	बारह मास
2	हर्रा	जुलाई से अक्टूबर	58	घास–फूस	दिसम्बर से फरवरी
3	बहेड़ा	जुलाई से मार्च	59	सेठा खागर	दिसम्बर से फरवरी
4	सतावर	बारह मास	60	बांस बेंत	दिसम्बर से फरवरी
5	आंवला	जुलाई से फरवरी	61	धरती के फूल	जुलाई से सितम्बर
6	शिकाकाई	फरवरी से मार्च	62	कटरुआ	जून से जुलाई
7	वनमूली	बारह मास	63	कोरो	बारह मास
8	वनप्याज	बारह मास	64	बल्ली	जनवरी से मार्च
9	वनहल्दी	बारह मास	65	थम्हार	फरवरी से अप्रैल
10	गलकंदरा	बारह मास	66	मूज	सितम्बर से नवम्बर
11	लाल बरुआ	बारह मास	67	शोक	जुलाई से अक्टूबर
12	सफेद बरुआ	बारह मास	68	रंगोय(रंगिया की बेल)	बारह मास
13	काला बरुआ	बारह मास	69	बाम्बी की मिट्टी	बारह मास
14	निउरासन	बारह मास	70	चिकनी मिट्टी	बारह मास
15	लगुनी लगना	बारह मास	71	तालाब की मिट्टी	बारह मास
16	हाथी गज	बारह मास	72	नदी की रेत	बारह मास
17	साहन्सर भेद	बारह मास	73	महुआ	जनवरी से अप्रैल
18	मैदा	बारह मास	74	वन रजवा	बारह मास
19	विजय साल	बारह मास	75	कामराज	बारह मास
20	दुधकुटरी	बारह मास	76	मछली	बारह मास
21	इन्द्राज	बारह मास	77	थूना–थम्हार	बारह मास
22	सर्ग बधुरी	बारह मास	78	दुधवा नेशनल पार्क के वर्किंग प्लान 1983–84 से 1992–93 में उल्लिखित सभी पुराने अधिकार व सुविधाएं	
23	असीढ़ा	बारह मास			
24	बेंधू	जुलाई से फरवरी			
25	दूधीजड़ा	बारह मास			
26	अजाईन	बारह मास			
27	पथरी	बारह मास			
28	मारु पिन्डा	बारह मास			
29	ब्रह्मी	बारह मास			
30	भवीरी जड़	बारह मास			
31	लट जीरा	बारह मास			
32	शिवलिंगी	बारह मास			
33	कोयल	बारह मास			
34	मीठी पाती	बारह मास			
35	कोसम	जून से अक्टूबर			
36	जामुन	जुलाई से अगस्त			
37	करौंदा	जुलाई से अगस्त			
38	गुलरी	फरवरी से मई			
39	फुरहुर	जून से सितम्बर			
40	रीठा	जून से सितम्बर			
41	बेल	फरवरी से अप्रैल			
42	तेन्दु पत्ता	फरवरी से अप्रैल			
43	खजूरी	बारह मास			
44	च्यूरी	बारह मास			
45	कनर	बारह मास			
46	छुहारी	बारह मास			
47	मदार	जून से मार्च			
48	सहोरो	बारह मास			
49	डेफर	जुलाई से अक्टूबर			
50	रोहणी रंग	जनवरी से अप्रैल			
51	पीन सजीवन	बारह मास			
52	बालम खीरा	बारह मास			
53	अमलतास	बारह मास			
54	दूब	बारह मास			
55	भदा	बारह मास			
56	शहद	अप्रैल से जून, अक्टू. से दिस0			

जिला सोनभद्र में वन उपज का एक उदाहरण

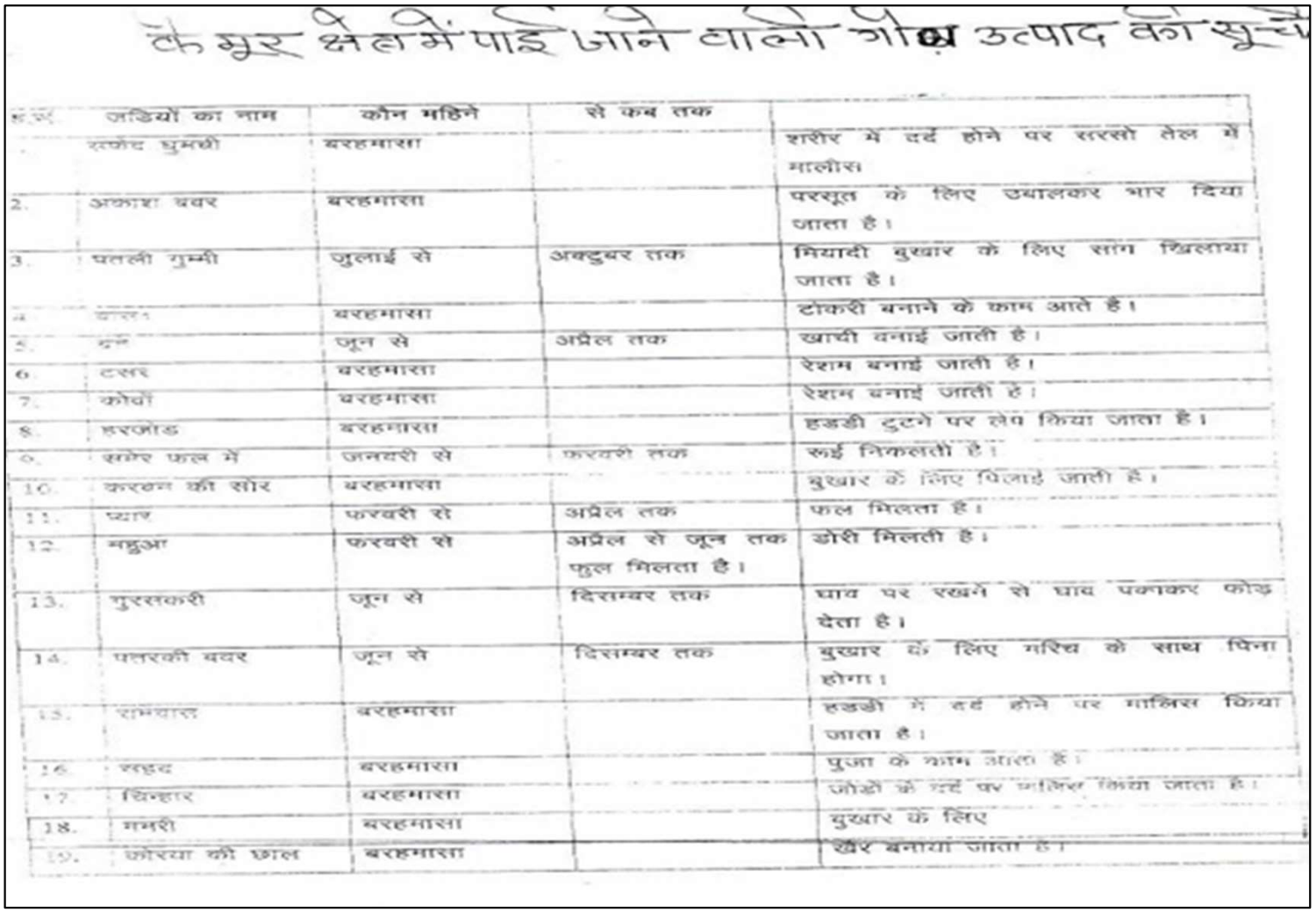

के मुर क्षेत्र में पाई जाने वाली गौण उत्पाद की सूची

क्र.सं.	जडियों का नाम	कौन महिने	से कब तक	
[illegible]	सफेद घुम्ची	बरहमासा		शरीर में दर्द होने पर सरसो तेल में मालीस।
2.	अकाश बवर	बरहमासा		परसूत के लिए उबालकर भार दिया जाता है।
3.	पतली गुम्ची	जुलाई से	अक्टूबर तक	मियादी बुखार के लिए साग खिलाया जाता है।
4	[illegible]	बरहमासा		टोकरी बनाने के काम आते है।
5.	[illegible]	जून से	अप्रैल तक	खादी बनाई जाती है।
6.	टसर	बरहमासा		रेशम बनाई जाती है।
7.	कोवॉ	बरहमासा		रेशम बनाई जाती है।
8.	हरजोड	बरहमासा		हड्डी टुटने पर लेप किया जाता है।
9.	सफेद फल में	जनवरी से	फरवरी तक	रुई निकलती है।
10.	करवन की सोर	बरहमासा		बुखार के लिए पिलाई जाती है।
11.	प्यार	फरवरी से	अप्रैल तक	फल मिलता है।
12.	महुआ	फरवरी से	अप्रैल से जून तक फुल मिलता है।	डोरी मिलती है।
13.	गुरसकरी	जून से	दिसम्बर तक	घाव पर रखने से घाव पकाकर फोड़ देता है।
14.	पतरकी बवर	जून से	दिसम्बर तक	बुखार के लिए मरिच के साथ पिना होगा।
15.	[illegible]	बरहमासा		हड्डी में दर्द होने पर मालिस किया जाता है।
16.	[illegible]	बरहमासा		पुजा के काम आता है।
17.	चिन्हार	बरहमासा		जोडो के दर्द पर मालिस किया जाता है।
18.	ममरी	बरहमासा		बुखार के लिए
19.	कोरया की छाल	बरहमासा		खैर बनाया जाता है।

रजिस्टर में दावेदारों की उनके अंगूठे के हस्ताक्षर के साथ एक सूची तैयार करें

क्लेम की फाइल तैयार होने के बाद कौन–कौन से दस्तावेज संलग्न किए गए हैं इसकी सूची इस प्रकार लगाई जा सकती है

1.अंतिम ग्राम सभा संकल्प (जहां जीएस की ओर से एफआरसी द्वारा दायर दावे स्वीकार किए जाते

2.फॉर्म बी

3.फॉर्म सी

4. हस्ताक्षर और कुछ सरकार के साथ दावेदारों की सूची। आईडी प्रमाण

5. बड़ों का बयान

6. दावा किए गए क्षेत्र का मानचित्र (हाथ से खींचा गया और जीपीएस सक्षम)

7. दावा किए गए क्षेत्र में उपलब्ध मौसमी वन उपज (गैर लकड़ी) की सूची

8.संबंधित वन प्रभाग की कार्य योजनाएँ

9. जिले का गजेटियर (वर्तमान से भिन्न हो सकता है)

10. दावा तैयारी के दौरान कार्य योजनाओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों, सामुदायिक प्रस्तावों के अनुसार वनस्पतियों, जीवों की सूची

11. समुदायों और वन विभाग के बीच अदालती मामलों का विवरण

12. प्रासंगिक के रूप में एमओटीए परिपत्रध्आदेशध्अधिसूचनाएं – जैसे ओटीएफडी के लिए 3 पीढ़ी के प्रमाण के संबंध में 9 जून 2008 का आदेश

वन विभाग की वर्ष 1973–74 एवं 1982–83 की कार्य योजनाओं में वन उपज के साथ–साथ विक्रय योग्य उत्पादों की अलग–अलग सूची तैयार की गई है।

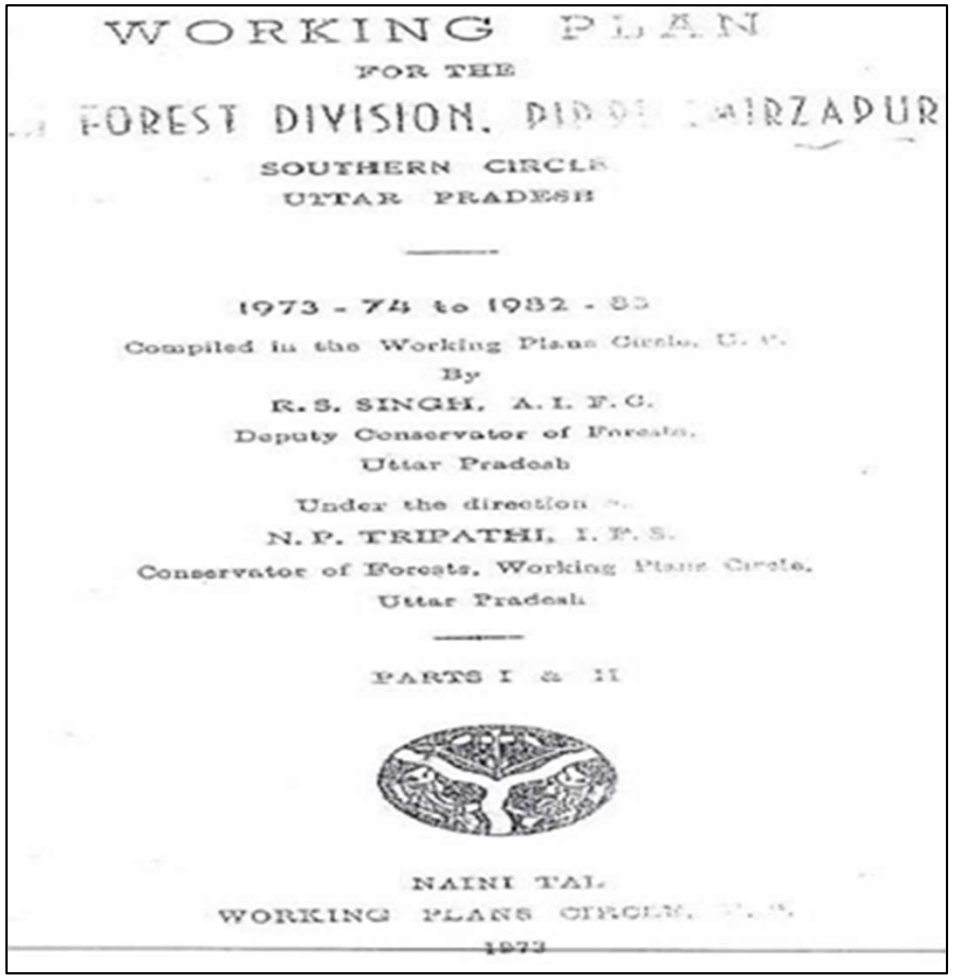

WORKING PLAN

FOR THE

FOREST DIVISION, MIRZAPUR

SOUTHERN CIRCLE

UTTAR PRADESH

1973 - 74 to 1982 - 83

Compiled in the Working Plans Circle, U. P.

By

R. S. SINGH, A. I. F. C.

Deputy Conservator of Forests,

Uttar Pradesh

Under the direction of

N. P. TRIPATHI, I. F. S.

Conservator of Forests, Working Plans Circle,

Uttar Pradesh

PARTS I & II

NAINI TAL.

WORKING PLANS CIRCLE, U. P.

1973

मिर्जापुर, यूपी का गजेटियर दृ नमूना

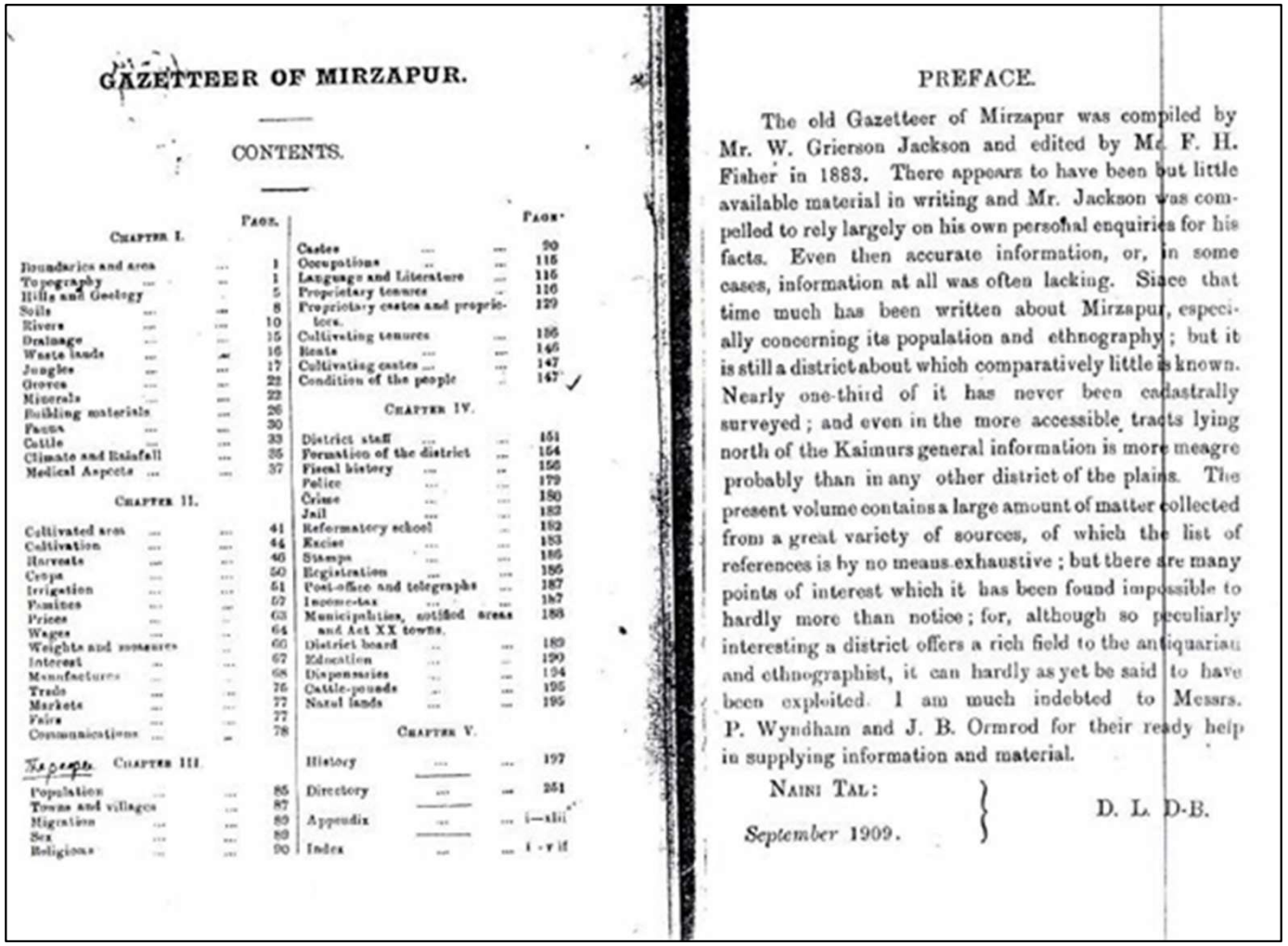

GAZETTEER OF MIRZAPUR.

CONTENTS.

	Page.
Chapter I.	
Boundaries and area	1
Topography	1
Hills and Geology	5
Soils	8
Rivers	10
Drainage	15
Waste lands	16
Jungles	17
Groves	22
Minerals	22
Building materials	26
Fauna	30
Cattle	33
Climate and Rainfall	35
Medical Aspects	37
Chapter II.	
Cultivated area	41
Cultivation	44
Harvests	46
Crops	50
Irrigation	51
Famines	57
Prices	63
Wages	64
Weights and measures	66
Interest	67
Manufactures	68
Trade	76
Markets	77
Fairs	77
Communications	78
Chapter III.	
Population	85
Towns and villages	87
Migration	89
Sex	89
Religions	90
Castes	90
Occupations	115
Language and Literature	115
Proprietary tenures	116
Proprietary castes and proprietors.	129
Cultivating tenures	136
Rents	146
Cultivating castes	147
Condition of the people	147
Chapter IV.	
District staff	151
Formation of the district	154
Fiscal history	156
Police	179
Crime	180
Jail	182
Reformatory school	182
Excise	183
Stamps	185
Registration	186
Post-office and telegraphs	187
Income-tax	187
Municipalities, notified areas and Act XX towns.	188
District board	189
Education	190
Dispensaries	194
Cattle-pounds	195
Naxal lands	195
Chapter V.	
History	197
Directory	251
Appendix	i—xlii
Index	i - v ii

PREFACE.

The old Gazetteer of Mirzapur was compiled by Mr. W. Grierson Jackson and edited by Mr. F. H. Fisher in 1883. There appears to have been but little available material in writing and Mr. Jackson was compelled to rely largely on his own personal enquiries for his facts. Even then accurate information, or, in some cases, information at all was often lacking. Since that time much has been written about Mirzapur, especially concerning its population and ethnography; but it is still a district about which comparatively little is known. Nearly one-third of it has never been cadastrally surveyed; and even in the more accessible tracts lying north of the Kaimurs general information is more meagre probably than in any other district of the plains. The present volume contains a large amount of matter collected from a great variety of sources, of which the list of references is by no means exhaustive; but there are many points of interest which it has been found impossible to hardly more than notice; for, although so peculiarly interesting a district offers a rich field to the antiquarian and ethnographist, it can hardly as yet be said to have been exploited. I am much indebted to Messrs. P. Wyndham and J. B. Ormrod for their ready help in supplying information and material.

NAINI TAL:
September 1909.

D. L. D-B.

अमीर हसन की पुस्तक श्ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियाश औपनिवेशिक आदिवासी समुदाय के विकास, संवैधानिक शासन प्रणाली, भूमि राजस्व प्रबंधन, वन प्रशासन और आदिवासी प्रबंधन आदि पर प्रकाश डालती है।

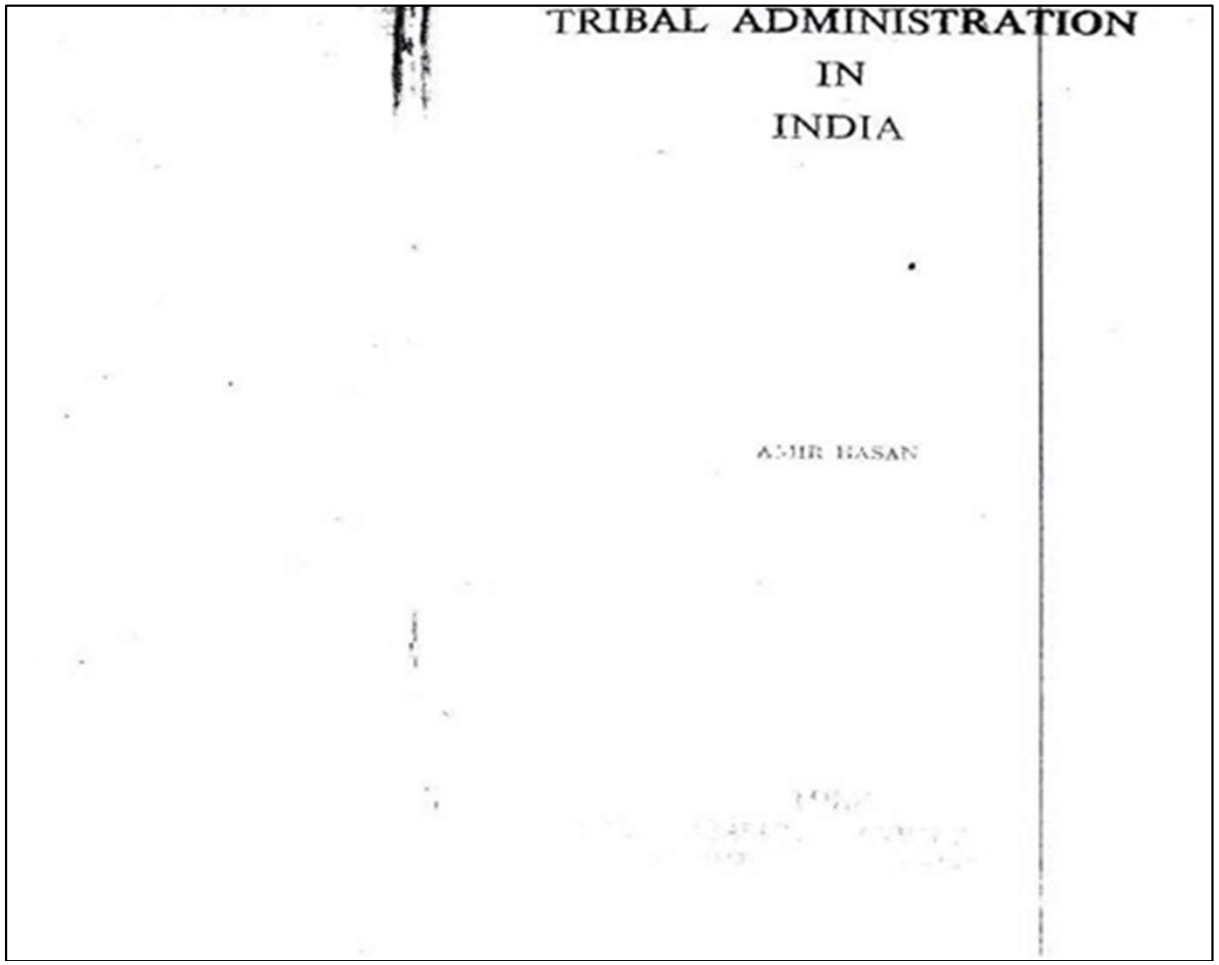

वन अधिकार समिति के कार्य

- ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति को माह में दो बार या कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए तथा विभिन्न आवेदन स्वीकार करने चाहिए। इसके लिए एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें आवेदन स्वीकार कर सभी के हस्ताक्षर लिए जाएं।
- गाँव में वन अधिकार समिति का एक कार्यालय होना चाहिए जहाँ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संग्रहीत होने चाहिए। यदि गांव में नहीं है तो समिति को वन कार्यालय या रेंज कार्यालय में भी अपना कार्यालय खोलने का प्रयास करना चाहिए। वन विभाग की सारी संपत्ति ग्राम सभा की संपत्ति है और उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए।
- ग्राम वन अधिकार समिति के सदस्यों को प्रत्येक माह या कम से कम तीन माह में एक बार प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, (संघ से जुड़ी सभी वन अधिकार समितियों के अध्यक्षों एवं सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।)
- प्रत्येक माह की बैठक में किये गये दावों की स्थिति का आकलन किया जाये तथा एक प्रस्ताव पारित कर इसे नियमित रूप से हर माह जिलाधिकारी एवं उपखण्ड स्तरीय समिति को भेजा जाये.
- गांव में आने वाले अधिकारी चाहे वन विभाग से हों या राजस्व विभाग से, उनका विवरण जैसे नाम, पता, फोन नंबर और कार्यालय आने का कारण एक रजिस्टर में रखा जाना चाहिए।
- यदि वन विभाग की टीम मकान तोड़ने, फसल नष्ट करने या पौधे लगाने आती है तो वन अधिकार समिति को इस कार्य के लिए नोटिस जारी करने की मांग करनी चाहिए। गांव की संपत्ति को नष्ट करते समय फोटो व वीडियो बनाया जाए। इस तरह की अवैध कार्रवाई की सूचना तुरंत वन अधिकार समिति के लेटर हेड पर लिखित रूप में दी जानी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड स्तरीय समिति, राज्य निगरानी समिति को भेजी जानी चाहिए।

ग्राम वन अधिकार समिति पत्र प्रमुख– नमूना

Letter no…….

VILLAGE FOREST RIGHTS COMMITTEE

VILLAGE.....TEHSIL.....DISTRICT.....STATE.....

ग्राम सभा द्वारा वनों एवं वन भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही

- जहां दावे किए गए हैं, उस ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले सभी लघु वनोपजों को वन विभाग, वन निगम, ठेकेदारों और बिचौलियों द्वारा एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और लघु वनोपजों को एकत्र करने का कार्य ग्राम के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए सभा.
- प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा को जंगल में पेड़ों की संख्या और पेड़ों पर ग्राम सभा का अंकन, कितनी जड़ी–बूटियाँ और कितने जंगली जानवर और पक्षी हैं, इसकी सूची तैयार करनी चाहिए और इन तीनों का अलग–अलग रजिस्टर बनाना चाहिए।
- हर तीन साल में ग्राम सभा को जंगलों और गांव से जुड़े सभी प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक संरक्षण योजना तैयार करनी चाहिए और जंगलों के सभी संसाधनों को बचाने और संरक्षित करने की योजना बनानी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जाने–माने विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।
- वन विभाग और वन माफियाओं की सांठगांठ के कारण लकड़ी, जड़ी–बूटियों और जंगली जानवरों की तस्करी को रोकने और रोकने के लिए महिलाओं और युवाओं के समूह बनाए जाने चाहिए और इस प्रकार अपने जंगलों को बचाया और संरक्षित किया जाना चाहिए।

संगठन का स्वरूप – वन संसाधनों के स्वामित्व के लिए ग्राम परिषदों के संघ का निर्माण

- हमें वन क्षेत्र में जंगल, खदानों, नदियों, तालाबों के स्वामित्व पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए ग्राम परिषद बनाने और अपने ब्लॉक या तहसील में सभी ग्राम सभाओं का एक संघ बनाने की आवश्यकता है।
- सभी उत्पादों को इकट्ठा करें और जिला प्राधिकरण से फेडरेशन के माध्यम से बिक्री परमिट लें।
- महासंघ के प्रतिनिधि का चुनाव करें
- फेडरेशन के नाम पर एक बैंक खाता खोलें, लेनदेन के लिए पैन कार्ड।
- वन उपज पर संपूर्ण नियंत्रण लें, अवैध रूप से वन उपज पर नियंत्रण लेने वाले बिचौलियों, वन विभाग को बाहर करें।

निष्कर्ष

- मित्रों, इस कानून को लागू करने के लिए यह समझना सबसे जरूरी है कि यह कानून हमारा कानून है और हमारे आंदोलन ने इसे बनाया है और संसद ने इसे पारित किया है, लेकिन कानून हमें ही बनाना है और इसे लागू करने में नेतृत्व भी करना है। एक तरह से हमें अग्रणी बनना होगा।
- इसलिए हम सभी को इस कानून के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। कानून को समझने के लिए वकील बनने की जरूरत नहीं है, हमें कानून को अपनी भाषा में समझना होगा ताकि जन जागरूकता के माध्यम से इस कानून को लागू किया जा सके। यह कानून मौजूदा सरकारी राजनीतिक आर्थिक नीतियों के विपरीत है और इसे लागू करने के लिए पैसे का कोई लेन–देन नहीं है, इसलिए सरकार, प्रशासन और अन्य अधिकारियों में इस कानून को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। इसलिए इस कानून को लागू करने के लिए हमें जो भी मदद चाहिए, वह हमें अधिकारियों से नहीं मिल रही है. यहां तक कि दावा प्रपत्र की व्यवस्था भी हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमें एकजुट होकर, आपस में विश्वास कायम करके इस कानून को एक आंदोलन की तरह लागू करना है। तभी हम यह मानकर वन विभाग की गुलामी से मुक्ति पा सकेंगे कि जंगल और सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं–हमारी विरासत हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार है।
- यह जानने के बावजूद कि वनों पर निर्भर समुदायों के लिए ये सभी प्रामाणिक दस्तावेज प्राप्त करना कितना कठिन है, औपनिवेशिक काल के इन दस्तावेजों को वनों पर निर्भर समुदायों द्वारा एकत्र किए जाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जहां मिलन है वहां कुछ भी मुश्किल नहीं हैय हम इन दस्तावेजों को एकत्र करेंगे क्योंकि यह हमारे इतिहास की पहचान की प्रक्रिया भी है। इस कानून के कार्यान्वयन के लिए जिस भी क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी या क्षेत्र में वन विभाग के किसी अन्य दस्तावेज, कार्य योजना, गजेटियर या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होगी, हमारा संघ समुदायों को हर संभव मदद करेगा।

धन्यवाद